

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

३-१०-२५ पत्रावली पेश हुई। प्राची अधिवक्ता अमीर-उल-
प्राची अनुपस्थित। प्राची व प्राची अधिवक्ता
को बार-बार अवगत जगवार जहाँ हाजिर
न्यायालय नहीं है। प्राची की अनुपस्थिति
दर्ज कर प्राचीना पत्र अदम हाजरी अदम पेशी
में खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज
सम्बन्ध से काम लेकर पत्रावली बाद प्रति
दरिक्त दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)